उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या -03/2022/1761/तीस-4-2021
लखनऊ : दिनांक : 05 जनवरी, 2022

अधिसूचना

अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1917) की धारा 19ख की उप धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 346/30-3-13-19एम/10, दिनांक 27 फरवरी, 2013 का अधिक्रमण करके ऐसे अधिक्रमण से पूर्व कृत या किये जाने हेतु विलोपित बातों के सिवाय राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), परिवहन विभाग को रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती हैं।

पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 के खंड (ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल अग्रतर इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक), परिवहन विभाग को सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त करती हैं।

जलयानों के सर्वेक्षण का स्थान सम्बन्धित जिला के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनिश्चित किया जायेगा तथा उनका रजिस्ट्रीकरण संबंधित जिला के परिवहन कार्यालय में किया जायेगा।

आज्ञा से,

राजेश कुमार सिंह
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-3 /2022/1761(1)/तीस-4-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 05 जनवरी, 2022 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 200 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-3 /2022/1761(2)/तीस-4-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को प्रदेश के 02 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या- 3 /2022/1761(3)/तीस-4-2021 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से सम्पर्क स्थापित कर उक्त अधिसूचना को प्रदेश के 02 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु किसी अभिज्ञ अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(2) समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक), उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।

(3) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राम गोपाल सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 03/2022/1761 /30-4-2021 dated 05 January, 2022

Notification

No.1761/XXX-4-2021
Lucknow; Dated: 05 January, 2022

In exercise of the powers under clause (b) of sub-section (1) of section 19B of the Inland Vessels Act, 1917 (Act no. 1 of 1917) and in supersession of Notification no. 346/30-3-13-19M/10 dated 27th February, 2013, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Governor is pleased to appoint the Assistant Regional Transport Officer (Administration) of the Transport Department as Registering Authority with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

The Governor is further pleased, in exercise of the powers under clause (b) of section 4 of the aforesaid Act, to appoint the Regional Inspector (Technical) of the Transport Department as the Surveyor with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

The place of survey of ships will be decided by the District Magistrate of the concerned district and their registration will be done in the Transport Office of the concerned district.

By order,

Rajesh Kumar Singh
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।